

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल कोरबा (छ.ग.)

☎ कॉ. : 07759-221273, नि. : 07759-222504, फॅक्स 07759-223531, Email : dfo_korba@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.अ/ 3512

कोरबा, दिनांक 21/06/2022

प्रति,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग
क्रमांक एन.एच.-149 बी,
कोरबा जिला - कोरबा

संशोधित

विषय :- Consultance Services for Project Management phase-I including Preparation of Details Project Report for upgradation of Champa-Korba-Chhuri-Katghora Section of NH-149 B in the State of Chhattisgarh 2/4 lane with paved shoulder configuration (PKg No. NH/IAHE/09) Area 4.493 Ha. regarding.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/ROAD/37444/2018

- संदर्भ :-
1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC-I/IROCH-09/2021/440 दिनांक 04.01.2022
 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर का पत्र क्र./ भू-प्रबंध/विविध/115-764/55 दिनांक 14.1.2022
 3. कार्यालयीन पत्र क्र./तक.अ./756 दिनांक 24.05.2022
 4. अ.प्र.मु.व.सं.(भू-प्रबंध/व.सं.अ.) नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-764/1272 दिनांक 08.06.2022

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र 1 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग चांपा-उरगा-छुरी-कटघोरा फोरलेन एन.ए. 149 बी के निर्माण हेतु रकबा 4.493 हे. का प्रत्यावर्तन के प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के द्वारा प्रथम चरण के अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय पृथक-पृथक वचन पत्र सहित प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

संदर्भित पत्र क्र.-3 के माध्यम से आपको भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के द्वारा प्रथम चरण के अधिरोपित शर्त क्र. - ii के अनुसार सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (CA) - 10.000 हे. की राशि रु. 878787/- प्रति हे. एवं अधिरोपित शर्त क्र. iv(a) के अनुसार प्रत्याशा मूल्य (NPV) रकबा 4.493 हे. की राशि रु. 957780/-प्रति हे. जमा करने हेतु लेख किया गया था।

संदर्भित ज्ञापन क्र.-4 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आपको प्रत्याशा मूल्य की राशि पुरानी दर 626000/- प्रति हे. के अनुसार यथा संशोधित प्रत्याशा मूल्य (NPV) रकबा 4.493 हे. की राशि जमा करना होगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	रकबा (हे. में)	दर (प्रति हे.)	राशि (रु. में)
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की क्षेत्र – 4.493 x 2 = 8.986 हे. या 10.00 हे.	10.000	878787/-	8787870
2	(NPV) Eco Class category and Forest type Eco Class-III 3B/C2 Southern Moist Mixed Deciduous Forests	4.493	626000/-	2812618
			योग	11600488

उपरोक्त CA एवं NPV की राशि 1,16,00,488/- रुपये (एक करोड़ सोलह लाख चार सौ अठ्ठासी रुपये मात्र) को वेब पोर्टल पर ई चालान जनरेट कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक रायपुर से अनुमोदन करावें एवं तत्पश्चात राशि RTGS के माध्यम से जमा करे जिसकी पावती एवं अधिरोपित शर्त क्रमांक XIV के अनुसार वन्य प्राणी परियोजना (Wildlife Conservation Plan) तैयार कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

सहपत्र – संदर्भित पत्र की छायाप्रति।


वनमण्डलाधिकारी

कोरबा वनमण्डल कोरबा

पृ. क्रमांक/तक.अ/ 3513

कोरबा, दिनांक 21/06/2022

- प्रतिलिपि – 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वनमण्डल चांपा की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।


वनमण्डलाधिकारी

कोरबा वनमण्डल कोरबा